न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 25/2018
तारीख निर्णय – 29/10/2020

प्रार्थी :–

1. गीदाराम पुत्र राजाजी आयु– 68 वर्ष जाति–जणवा चौधरी निवासी– आना तहसील–देसूरी जिला पाली

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. पुराराम पुत्र राजाजी आयु–वयस्क
2. दुदाराम पुत्र राजाजी आयु–वयस्क
3. केसाराम पुत्र राजाजी आयु–वयस्क
4. कलाराम पुत्र राजाजी आयु–वयस्क
   जातिगण–जणवा चौधरी निवासीगण–आना तहसील–देसूरी जिला–पाली
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से – वकील सुशी दवे।
2– अप्रार्थीगण की ओर से – वकील दिव्य प्रकाश त्रिवेदी।

–: निर्णय :– **दिनांक– 29.10.2020**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज.काश्त. अधिनियम, 1955 की सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम आना पटवार हल्का आना तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 352 रबा 1.9100 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 354 रकबा 2.5300 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 359 रकबा 0.100 हैक्टर किस्म गे.मु. बेरा, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गे.मु. सडा, खसरा नम्बर 361 रकबा 2.8300 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल कुल क्षैत्रफल 7.3[illegible] 254.62 में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का कब्जा काश्तसुदा विद्यमान है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मे मध्य आपसी सहमति एवं रजामन्दी से काफी समय पहले बंटवाडा किया हुआ है [illegible] के पर अलग–अलग कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभागं चला आ रहा है एवं बेरा व सडा संयुक्त उपयोग का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:38 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार नम्बर 2 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 25/2018 अनवान गीदाराम बनाम पुराराम अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम.............

जिस अनुरूपा प्रार्थी के 1/5 हिस्से का आराजी कृषि खसरा नम्बर 354 में रखी हुई प्रार्थी की कब्जा काश्तसुदा चली आ रही है।

वादग्रस्त आराजी प्रार्थी एव अप्रार्थीगण की सयुक्त सह खातेदारी की है, प्रत्येक का 1/5 वां हिस्सा अर्थात प्रार्थी का स्वयं हिस्सा खसरा नम्बर 354 रकबा 2.5300 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल कृषि भूमि पर काबिज है। वादग्रस्त आराजी का मौखिक पारिवारिक सेटलमेन्ट बंटवारा हो चुका है। एवं अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि पर सभी काबिज है किन्तु वाग्रस्त आराजियात का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाण्उड्स के बंटवाडा रिकॉर्डली नहीं हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य संयुक्त काश्त संभव नहीं है। जिससे प्रार्थी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवा कर अपना 1/5 वां हिस्सा खसरा नम्बर 354 रकबा 2.5300 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल की भूमि का अलग बंटवाडा चाहता है। जिसके लिए प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थीगण को कई बार कहा गया किन्तु अप्रार्थीगण आज–कल बताकर टालम टोली कर रहे है। अतः प्रार्थी यह वाद हस्ब धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बंटवाडा हेतु विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत है।

यह है कि प्रार्थीगण संख्या 1 पुराराम व उसके परिवार वाले अन्य अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की अराजियात में नजायज दखलन्दजी करने पर आमादा है। एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रार्थी के बंट की कृषि भूमि खसरा नम्बर 354 में से जोर–जबरदस्ती डरा धमकाकर अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु 15 फिट चौडा रास्ता निकाल दिया। जबकि अप्रार्थी संख्या 01 का खसरा संख्या 353 के उत्तर दिशा की तरफ कदीम से रास्ता विद्यमान है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 एवं उनके परिवार को विधिक बंटवाडा नहीं होने तक प्रार्थी की कब्जा काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 354 में नाजायज दखलन्दाजी एवं आवागमन करने से रोका जाना नितान्त आवश्यक एवं न्याय संगत है, अन्यथा प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी।

मूल वाद के निर्णय में लम्ब समय लगेंगा जिससे मूलवाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण संख्या 01 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी के बंट की भूमि खसरा संख्या 354 में प्रार्थी की कब्जा काश्तसुदा विद्यमान है। जिसमें से होकर अप्रार्थी संख्या 01 को आवगमन हेतु नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

अतः अप्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजी के प्रार्थी के 1/5 हिस्से की खातेदारी भूमि जो मौके पर अलग बंटी हुई है उसमें प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं उपयोग में अप्रार्थीगण एवं उनके परिवारजन द्वारा [illegible] तहत से रास्ता न निकाले एवं किसी प्रकार से कोई दखल, अवरोध [illegible] करे न किसी अन्य से करावें एवं प्रार्थी को उसके बंट की भूमि में काश्त से [illegible] नहीं रखें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी[illegible] के नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में

पेज लगातार नम्बर 3 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

लाई गई। तथा अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से दिव्य प्रकाश त्रिवेदी ने वकालत नामा पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में आवागमन का रास्ता विद्यमान है जो नजरी नक्शे से स्पष्ट है जिस शामलाती रखते हुए विधिक बंटवाडा किया जावें। यह सही है कि खसरा नम्बर 354 की आराजी मौखिक पारिवारिक बंटवाडे के तहत प्रार्थी के हिस्से में रखी है लेकिन उक्त खसरा नम्बर की आराजी में आवागमन का रास्ता पुराना रखा था जो जवाब नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के भाग को छोडकर शेष भूमि वादी/प्रार्थी के हिस्से की जमीन है जिस पर वादी/प्रार्थी काबिज है इसी प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 04 के खसरा नम्बर 361 की भूमि हिस्से में आई है जिस पर प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 04 काबिज होकर काश्त कर रहा है। इसी प्रकार प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा नम्बर 353 की आराजी रास्ते के भाग को छोडकर व कुछ खसरा नम्बर 361 की भूमि हिस्से आई है जिस पर कब्जा काश्त प्रतिवादी संख्या 01 का चला आ रहा है।

यह कि खसरा नम्बर 354 की आराजी आवागमन का कदीमी रास्ता छोडकर शेष भूमि वादी बंटवाडे में प्राप्त करने का अधिकारी है इसी प्रकार प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 04 खसरा नम्बर 361 की भूमि बंटवाडे मे नाप अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से पर सुधार कार्य करवाकर अपने हिस्से को डेवलप किया। अतः मौके पर कब्जे अनुसार विधिक बंटवाडा किया जावें।

यह है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी व अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के भाई अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम भी संयुक्त खातेदारी होने से रेकर्ड में दर्ज है लेकिन उनको आपसी बंटवाडों के तहत अन्य संयुक्त खातेदारी भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 121/3, 122/1, 307/1, 308/1, 308/4 कुल रकबा 4.07 हैक्टर भूमि हिस्से में दी जिस पर उक्त दोनों अप्रार्थी संख्या 2 व 3 कदीम से काबिज होकर काश्त कर रहे है। इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी/अप्रार्थी 2 व 3 का नाम की खातेदारी निरस्त करने की घोषण करने व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का नाम के अन्य संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 121/3, 122/1, 307/1, 308/1, 308/4 कुल रकबा 4.07 हैक्टर भूमि पुरी घोषणा करने व उक्त खातेदारी भूमि के साथ प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के कुऐ व सडे की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 119, 120, 123–128, 262, 263, 307/4, 308/5, 309/2 कुल रकबा 0.64 हैक्टर जिसमें सयुक्त खातेदारी वादी व उसके भाईयों प्रतिवादीगण की आई हुई स्थित है जिसमें संयुक्त रूप से 1/6 वां हिस्सा स्थित है, जो उक्त हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 व 3 के हिस्से में रखा ... कुए व सडे की भूमि स्थित है जिसके तहत उक्त आराजी में स्थित ... प्राप्त करने के अधिकारी है जिस बाबत भी घोषणा का ... किया है वर्तमान जमाबन्दी में सेग्रीगेशन के तहत हिस्से गलत दर्ज किये है जिस बाबत पुरानी जमाबन्दी साथ संलग्न है जिसमें 1/6 हिस्सा दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:38 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार नम्बर 4 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

यह है कि खसरा नम्बर 354 की भूमि प्रार्थी के हिस्से मे आई है लेकिन पुराना आवागमन का रास्ता छोडकर जो जवाब के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे से स्पष्ट है उक्त रास्ता कदीमी है जिसे प्रार्थी अपने हिस्से में मिलाकर खुर्दबर्द करना चाहता है। इसलिए उक्त रास्ते बाबत गलत कथन प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है, जबकि मौके पर रास्ता उपलब्ध है। यदि प्रार्थी कदीमी रास्ते को अपने हिस्से में मिला देता है तो उक्त वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार का अपने अपने हिस्से में आवागमन करना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए उक्त पुरान कदीमी रास्ते को प्रार्थी किसी भी प्रकार अपनी आराजी में नहीं मिलावें व खुर्द बुर्द न करें इस बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करावें।

वकील प्रार्थी द्वार व्यक्त किया कि पत्रावली आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः पत्रावली खारिज फरमावें। जिससे अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पर इस पत्रावली में बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्षय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

इस प्रार्थना पत्र मे निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्टया मामला :– अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि यह सही है कि खसरा नम्बर 354 की आराजी मौखिक परिवारिक बंटवाडे के तहत प्रार्थी के हिस्से में रखी है लेकिन उक्त खसरा नम्बर की आराजी में आवागमन का रास्ता पुराना रखा हुआ था जो जवाब नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। उक्त रास्ते के भोग को छोडकर शेष भूमि वादी/अप्रार्थी के हिस्से की जमीन है। जिस बाबात प्रार्थी उक्त आवागमन के रास्ते में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे व उक्त रास्ते में अवरोध उत्पन्न नहीं करें।

प्रथम दृष्टया मामला पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। जिसमें यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी बंटवाडा पूर्व में हो चुका है परन्तु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य रास्ते के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उक्त रास्ता खसरा संख्या 354 में कदीमी रास्ता था। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण वर्तमान में विवादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार दर्ज है। जिससे रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि यदि प्रार्थी उक्त पुराने कदीमी रास्ते को अपने हि[illegible] देता है तो उक्त वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार/अप्रार्थीगण [illegible] करना मुश्किल हो जायेगा तथा फसल की सिंचाई, पानी [illegible] मुश्किल हो जायेगा।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार है अतः सम[illegible] विवादग्रस्त आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का बराबर बराबर हक अधिकार है जब तक विवादित आराजी के बंटवाडा के

पेज लगातार नम्बर 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

संबंध में अंतिक डिक्री पारित नहीं हो जाती है, किसी एक हिस्से पर कोई भी सहखातेदार किसी दुसरे सहखातेदार की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 4 ने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 354 की भूमि प्रार्थी के हिस्से में आई है लेकिन पुराना आवागमन का रास्ता छोडकर जो जवाब के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि उक्त रास्ता कदीमी पुराना है जिसे प्रार्थी अपने हिस्से मे मिलाकर खुदबुर्द कराना चाहता है। यदि प्रार्थी उक्त कदीमी रास्ते को अपने हिस्से में मिला देता है तो उक्त वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार का अपने अपने हिस्से में आवागमन करना मुश्किल हो जायेगा। जिससे अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी।

अपूरणीय क्षति पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। सहखातेदार के मध्य हुए आपसी बंटवाडे के अनुसार अप्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त खसरा नम्बर 354 की भूमि प्रार्थी के बंट में आई है लेकिन उक्त खसरा नम्बर की आराजी में आवागमन का रास्ता पुराना रखा हुआ था। उक्त रास्ते के भाग को छोडकर शेष भूमि वादी/अप्रार्थी के हिस्से की जमीन है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु अप्रार्थी संख्या 04 के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय की राय में प्रार्थना पत्र पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

अप्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 29/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 17:41:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)